समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा0,

प्रेषक,

समाहर्त्ता, बक्सर।

सेवा में,

प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी बक्सर जिला

सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला।

सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला

सभी अंचल निरीक्षक, बक्सर जिला

बक्सर, दिनांक / /2018

विषय : सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में वास भूमि उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा आवंटित जमीन से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु दिनांक 01.06.2018 से 31.08.2018 तक की अवधि में अभियान संचालित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 08/अभियान बसेरा 26–02/2018–507(8)/रा0 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में वास भूमि उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा आवंटित जमीन से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु दिनांक 01.06.2018 से 31.08. 2018 तक की अवधि में अभियान संचालित किये जाने के आलोक में निम्न निदेश संसूचित की गई है :–

1. इस हेतु तिथि का निर्धारण एवं पंचायत भवन / सार्वजनिक स्थल पर स्थल का चयन करते हुए कैम्प का आयोजन करने तथा संबंधित तिथि एवं स्थल की जानकारी आम लोगों तक सुलभ कराने हेतु इसका व्यापक प्रचार – प्रसार कराने का निदेश दिया गया है, ताकि बेदखल पर्चाधारी बेदखली की सूचना कैम्प में उपस्थित होकर स्वयं उपलब्ध करा सके।
2. उक्त कैम्प में बेदखल किये गये पर्चाधारियों के द्वारा बेदखल की सूचना स्वयं उपस्थित होकर एवं वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर इसकी जानकारी समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को भी दी जा सकती है, जिसके आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
3. उक्त कैम्प के प्रयोजनार्थ जिला के वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करने हेतु निदेश प्राप्त हैं तथा गठित टीम के द्वारा बेदखल किये गये पर्चाधारियों एवं वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को चिन्हित करने तथा सर्वेक्षण के उपरान्त बेदखल पाये जाने वाले को दखल दिलाने के साथ ही वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हैं।
4. आवंटित जमीन पर बेदखल परिवारों को दखल दिलाने के पश्चात इसकी सूचना स्थानीय थाना को देने, आवश्यकतानुसार बेदखल किये गयें परिवारों को दखल दिलाने हेतु स्थानीय थाना का सहयोग प्राप्त करने एवं दुबारा बेदखल किये जाने की स्थिति में व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किये जाने का निदेश प्राप्त है।

5. बेदखली एवं वास भूमि रहित सक्षम श्रेणी के परिवारों द्वारा संबंधित सूचना विभाग के स्तर पर संचालित हेल्प लाईन का दूरभाष संख्या–180 03456215 पर भी दी जा सकती है।

अतः उक्त विभागीय पत्र के आलोक में प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के टीम का गठन किया जाता है तथा निदेशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न दखल देहानी शिविर के आयोजन से संबंधित कैलेण्डर में निर्धारित तिथि को स्वयं उपस्थित होकर बेदखल पाये जाने वाले पर्चाधारियों एवं वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को चिन्हित करेंगे एवं उन्हें दखल दिलाने के साथ ही वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के पश्चात् इसकी सूचना स्थानीय थाना को देंगे। सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को निदेशित किया जाता है कि दखल देहानी हेतु आयोजित शिविर में अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत संबंधित अंचल अधिकारी को नियमानुसार सभी सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

अनुलग्नक : यथोक्त।

समाहर्त्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03–1639/रा0 दिनांक 08-06-2018।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। विभाग से प्राप्त आपरेशन दखल देहानी से संबंधित नमूने की प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि इसका व्यापक प्रचार – प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अंचलों में लगने वाले दखल देहानी से संबंधित उक्त कैम्पों का अनुश्रवण स्वयं अपने स्तर से करेंगे।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से स्थानीय थाना को उक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु सहयोग प्रदान करने के संबंध में निदेशित करेंगे।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से स्थानीय थाना को उक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु सहयोग प्रदान करने के निमित निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

08/06/18

समाहर्त्ता, बक्सर

DISTRICT MAGISTRATE BUXAR
06 JUN 2018
CONFIDENTIAL SECTION

150

08/अभियान बसेरा 26–02/2018.......507.......(8)/रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...06/6/18

विषय :– सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में वासभूमि उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा आवंटित जमीन से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु दिनांक–01.06.2018 से 31.08.2018 की अवधि में अभियान संचालित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:– इस कार्यालय का पत्रांक–485 (8)/रा0, दिनांक–29.05.2018 एवं 510 (7), दिनांक–18.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में वासभूमि उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु अभियान संचालित किये जाने का आदेश दिया गया है। विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल वासरहित सर्वेक्षित परिवार 1,14,614 के विरूद्ध 72,655 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार 41,959 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही अभियान के रूप में सर्वेक्षण कर अन्य वासरहित परिवारों को सूचीबद्ध करना है।

2. उसी प्रकार विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक अभियान भूमि दखल –देहानी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल किये गये 1,24,149 पर्चाधारियों के विरूद्ध 82,410 पर्चाधारियों को दखल दिलाया गया है, जबकि 42,739 पर्चाधारियों को दखल दिलाया जाना शेष है।

3. सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को चिन्हित करते हुए दखल दिलाने एवं वासरहित परिवारों को चिन्हित करते हुए वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक–01.06.2018 से 31.08.2018 की अवधि में अभियान संचालित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रयोजनार्थ समाहर्त्ता, जिला के वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन कर जिला के सभी अंचलों में पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर बेदखल किये गये पर्चाधारियों एवं वासरहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को चिन्हित करेंगे। सर्वेक्षण के उपरान्त बेदखल पाये जाने वाले पर्चाधारियों को दखल दिलाने के साथ ही वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

4. कैम्प का आयोजन पंचायत भवन/किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जायेगा। समाहर्त्ता कैम्प के आयोजन से संबंधित तिथि एवं स्थल की जानकारी आमलोगों को सुलभ कराने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करावेंगे, ताकि बेदखल पर्चाधारी बेदखली की सूचना कैम्प में उपस्थित होकर स्वयं उपलब्ध करा सकेंगे एवं वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को भी उक्त कैम्प के माध्यम से चिन्हित किया जायेगा।

5. बेदखल किये गये पर्चाधारियों के द्वारा एवं वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों के द्वारा उपस्थित होकर इसकी जानकारी समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को स्वयं भी दे सकते हैं, जिसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि उक्त कार्यक्रम एवं सरकार के द्वारा की जानेवाली कार्रवाई की सूचना आमलोगों को उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

6. आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के पश्चात् इसकी सूचना स्थानीय थाना को उपलब्ध करायी जायेगी। आवश्यकतानुसार बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु

D:\2018\05 May 06 June 07 July 08 August\Letter\Letter-01-05-18.doc

जिला राजस्व शाखा
1786/रा0
7-6-18

ADM
राजस्व प्रभारी
Imp matter

स्थानीय थाना का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। दुबारा बेदखल किये जाने की स्थिति में बेदखल करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

7. बेदखली एवं वासभूमि रहित सक्षम श्रेणी के परिवारों से संबंधित सूचना विभाग के स्तर पर संचालित हेल्पलाईन का दूरभाष संख्या–180 03456215 पर दी जा सकती है। उक्त तथ्य से आगलोगों को अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने की आवश्यक व्यवस्था की जाय।

अनुरोध है कि वासरहित सक्षम श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल पाये जानेवाले पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु अपने स्तर उपर्युक्त के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। ऑपरेशन दखल–देहानी से संबंधित प्रचार–प्रसार का नमूना संलग्न है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

1/6/18

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी

सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दिनांक– 01.06.2018 से 31.08.2018 की अवधि में दखल दिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

- समाहर्त्ता, जिला के वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन कर जिला के सभी अंचलों में पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर बेदखल किये गये पर्चाधारियों को चिन्हित करेंगे।
- बेदखल पाये जाने वाले लाभार्थियों को कैम्प के माध्यम से दखल दिलाया जाएगा।
- कैम्प का आयोजन पंचायत भवन / किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा।
- समाहर्त्ता कैम्प के आयोजन से संबंधित तिथि एवं स्थल की जानकारी आम लोगों को सुलभ कराने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे, ताकि बेदखल पर्चाधारी बेदखली की सूचना कैम्प में उपस्थित होकर स्वयं उपलब्ध करा सकेंगे।
- बेदखल किये गये पर्चाधारी बेदखली की सूचना अंचल अधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/समाहर्त्ता को किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं।
- आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के पश्चात् इसकी सूचना स्थानीय थाना को उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु स्थानीय थाना का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- दुबारा बेदखल किये जाने की स्थिति में बेदखल करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

बेदखली से संबंधित सूचना विभाग के स्तर पर संचालित हेल्प लाईन का दूरभाष सं0–18003456215 पर दी जा सकती है।

(प्रधान सचिव)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना